# प्रारूप

## कस्टम हायरिंग के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना

## कार्यान्वयन अनुदेश वर्ष 2015–16

बिहार राज्य में लघु एवं सीमान्त कृषकों की बहुलता है उनके बीच आज भी उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कृषि कार्यों में बहुत कम किया जा रहा है। वैसे क्षेत्र जहाँ कृषक जानकारी एवं अर्थ के अभाव में कृषि यंत्र का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उन क्षेत्रों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक क्षेत्रों में कृषि यांत्रिकरण का विस्तार हो सके।

### 1. उद्देश्य :–

(i) कम फार्म पॉवर उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यांत्रिकरण को बढ़ावा देना।
(ii) किराया पर विभिन्न कृषि यंत्रों को चलाने की सेवा उपलब्ध कराना।
(iii) मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बटाइदारों तक यांत्रिकरण का विस्तार करना।
(iv) मशीनों के कस्टम हायरिंग के क्रियान्वयन में निर्माता/कृषि विज्ञान केन्द्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।
(v) उन्नत एवं नये रूप से विकसित कृषि यंत्रों का समावेश।

### 2. कस्टम हायरिंग केन्द्र का कार्यक्षेत्र एवं संरचना

(i) चिन्हित जिलों/प्रखंडों में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
(ii) कम फार्म पॉवर उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों बटाइदारों के अधिकता वाले क्षेत्रों को सम्मलित किया जायेगा।
(iii) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र के पास कम से कम 10 एकड़ प्रतिदिन एवं कम से कम 300 एकड प्रति मौसम अच्छादित करने की क्षमता हो।
(iv) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना फसल आधारित, मूल्य आधारित एवं कलस्टर आधारित होगी।
(v) कस्टम हायरिंग केन्द्र के पास छोटे–छोटे फसल आधारित एवं स्थान विशेष के आवश्यकतानुसार, छोटे एवं सीमान्त होल्डींग में क्रियान्वित होने वाले कृषि यंत्र उपकरण होना चाहिए।
(vi) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना में गाँव/शहर के चयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
  (क) फार्म पावर उपलब्धता का न्यूनतम अनुपात
  (ख) उपलब्ध ट्रैक्टर की संख्या
  (ग) लघु एवं सीमान्त होल्डींग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या
  (घ) खाद्यानों की कम उत्पादकता का होना जबकि उत्पादकता बढने की सम्भावना हों
  (ड़) एक पंचायत में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना किया जायेगा। यदि पूर्व में किसी भी योजना से किसी पंचायत में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित है तो वहाँ नए कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित नहीं किए जायेंगे। जब सभी पंचायत अच्छादित हो जायेंगे तब दोबारा अच्छादन हो सकता है।
(vii) जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक (आत्मा) उपरोक्त मापदंड के अनुसार ग्राम संगठन/CLF/ आत्मा से संबद्ध FIG (Farmers Interest Group)/NABARD, राष्ट्रीयकृत बैंक से संबद्ध किसान क्लब/स्वंय सहायता समूह (SHG) /पैक्स/व्यापार मंडल/उद्यमी/यंत्र निर्माता का चयन कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु करेंगे।

546/152

3. कार्यान्वयन एजेन्सी

जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

4. कार्यक्रम :–

कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना एवं उसे क्रियान्वित किया जाना।

5. लक्ष्य :–

(i) यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75% एवं 25% के अनुपात में वित्त पोषित है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 10.6895 करोड की लागत से कुल–138 (10 लाख, 25 लाख, 40 लाख की लागत के क्रमशः 76, 38, 24 कृषि यंत्र बैंक) कृषि यंत्र बैंक स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–5 में संलग्न है। जिलों को निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य नोशनल है। पहले लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिले को कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले जिले का लक्ष्य काटकर दे दिया जायेगा तथा कम उपलब्धि वाले जिले से स्पष्टीकरण प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

## 6. फार्म पावर उपलब्धता की गणना

फार्म पावर उपलब्धता की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जायेगा।

| FORMULA TO CALCULATE FARM POWER AVAILABILITY (kw/ha) | |
|---|---|
| kw/ ha = | (Number of agricultural Worker x 0.05+ Number of draught animal x 0.38 + Number of Tractors x 26.1+ Number of Power tillers x 5.6 + Number of electric motor x 3.7 + Number of diesel engine x 5.6) ÷ Available cultivated land in ha |

## 7. आवेदन की प्रक्रिया

जीविका के ग्राम संगठन/आत्मा से संबद्ध फार्मर्स इन्टरेस्ट ग्रूप (F.I.G) / NABARD राष्ट्रीयकृत बैंक से संवद्ध किसान क्लब/स्वंय सहायता समूह (SHG) /पैक्स/व्यापार मंडल/कृषि यंत्र निर्माता/उद्यमी द्वारा अनुसूचि–। में दिए गए प्रारूप में जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन किया जायेगा। आवेदक समूह को कम से कम 3 वर्षों तक लगातार कृषि के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

## 8. आवेदनों की स्क्रूटनी:–

प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी निम्नलिखित मापदंड के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

स्क्रूटनी के बाद जिला कृषि पदाधिकारी लक्ष्य के 150 प्रतिशत SHG's/VO's/FIG /किसान क्लव/यंत्र निर्माता/उद्यमी की प्राथमिकता सूची विवरण सहित तैयार करेंगे।

| | मापदंड | अहर्त्ता | वेटेज अंक |
|---|---|---|---|
| (i) | SHG कितने वर्षो से अस्तित्व में है। | 3 वर्ष | 25 |
| (ii) | कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम है। | रू० 25.00 लाख | 25 |
| (iii) | कृषि संबंधी क्रिया कलाप में कार्यरत है। | 3 वर्ष | 25 |
| (iv) | समूह का सफल संचालन हो रहा है। | 3 वर्ष | 25 |
| | | कुल | 100 |